Rohtas P.S. Case No.- 47 / 20

24 / 04 / 20

काराधीन अभियुक्तगण (1) राजु कुमार, (2) महेन्द्र सिंह की ओर से दाखिल जमानत आवेदन–पत्र उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया। संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते है कि अभियुक्तगण निर्दोष है एवं कोई अपराध नही किया है, न हि अपना जमानत आवेदन किसी वरीय न्यायालय में दाखिल किया है। यह कि अभियुक्तगण को गलत तरीके से फॅसाया गया है। अभियुक्तगण Seized Tractor का ड्राइवर एवं मालिक है। अभियुक्तगण दिनांक–14 / 03 / 20 से कारा में बंद है। अतः अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जायें।

जमानत के बिन्दु पर सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित् होता है कि अभियुक्तों के विरुद्व U/s–379/411 I.P.C. के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज किया गया है। अभियुक्तगण दिनांक–14 / 03 / 20 से कारा में बंद है। वाद अभी अनुसंधान के क्रम में है। अतः अभियुक्तों द्वारा कारा में बिताये गये अवधि तथा Covid–19 महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए अभियुक्तों को व्यक्तिगत बंध–पत्र पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि वे लॉकडाउन के आदेशों का पूर्णतः पालन करेगे तथा लॉकडाउन समाप्त होने पर 10,000 X 2 प्रतिभू का बंध–पत्र दाखिल करेगें। जिसमें एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार हों।

Issue
R) O
24.4.20

लेखापित

S.D.J.M., I/C